(111)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2051–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 19.6.14 एंव 20.6.14 – पारित व्दारा – तहसीलदार कुरवाई – प्रकरण कमांक 39/अ–12/13–14

1–श्रीमती सुनेत्रा शर्मा पत्नि स्व.स्वरूप कृष्ण शर्मा
2–अनुराग शर्मा 3– अभिजीतसिंह शर्मा
4– अचल शर्मा 5– अविनाश शर्मा
सभी पुत्रगण स्व.स्वरूप कृष्ण शर्मा
निवासी ककरावली तहसील कुरवाई
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती गोमतीवाई पत्नि रामप्रसाद
2– गोटर पुत्र हलकू
3– ललितावाई पत्नि धन्नालाल
निवासी ककरावली तहसील कुरवाई
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)

(अनावेदक क–1 व 3 के अभिभाषक श्री पल्लभ त्रिपाठी)

(अनावेदक क–2 पंजीकृत डाक से सूचना पर भी अनुपस्थित –एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 2–2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार कुरवाई के प्रकरण कमांक 39/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक दिनांक 19.6.14 एंव 20.6.14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ऐसा है कि ग्राम ककरावली स्थित भूमि सर्वे कमांक 20/2/1, 20/2/2, 20/2 एंव 20/3 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित यिा गया है) के सीमांकन पर तहसीलदार कुरवाई ने प्रकरण कमांक 39 अ 12/13-14 पंजीबद्ध किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की। पेशी 19.6.14 को अनावेदक ने मान0उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन 912/2004 में यथास्थिति की प्रति पेश करने पर अनावेदक से करेन्ट स्टेटस दिनांक 30.6.14 तक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, तत्पश्चात् पुनश्च में विचार कर निर्णय लिया गया कि मान. उच्च न्यायालय व्दारा 1-11-06 को प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा चुका है इसलिये आवेदक के शीध्र सुनवाई के आवेदन को स्वीकार किया गया एंव इस न्यायालय के आवेदकगण मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1-11-06 की प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुये दिनांक 20.6.14 को सीमांकन की रोक समाप्त कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने के निर्देश जारी किये। इन्हीं अंतरिम आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शाए गए तथ्यों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 55 अ 19/2001-02 से भूमिहीनों को पटटे पर प्रदान की गई भूमि है जिसका आवेदकगण आपत्ति कर सीमांकन करने देना

नहीं चाहते। स्पष्ट है कि प्रकरण कमांक 55 अ 19/2001-02 से पटटे प्रदान करने के पूर्व भूमि शासकीय दर्ज रही है । आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का स्वत्व व स्वामित्व किस प्रकार से बनता है क्योंकि पट्टाग्रहीता पट्टा प्राप्त करने के वाद सीमांकन कराते हुये भूमि का कब्जा मांगने का हकदार है जिसके कारण तहसीलदार कुरवाई द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ-12/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.6.14 एंव 20.6.14 से वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराने एंव पट्टाग्रहीताओं को कब्जा सौंपने के निर्देश राजस्व निरीक्षक को जारी करने में किसी प्रकार की त्रूटि नहीं की है। वैसे भी वादग्रस्त भूमि का सीमांकन अंतिम नहीं हुआ है और आवेदकगण को तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण प्रस्तुत निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार कुरवाई द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ-12/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.6.14 एंव 20.6.14 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर